

2022/220

श्रीमान जी,  
निवेदन है कि श्रीमान जिला  
कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर  
के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338  
दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को  
बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत  
खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है।  
जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की  
कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी बलवन्त सिंह उर्फ बलवन्त  
सिंह सिधू पुत्र महिन्द्र सिंह जाति जटसिख  
निवासी गांव 7वाई श्रीगंगानगर ने प्रार्थना  
पत्र, शपथ पत्र व आई.डी.चप्रूफ, एवं दो  
गवाह का शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ, रसीद  
पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा  
प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ  
कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान रमिन्द्र सिंह पुत्र  
गुरेन्द्र सिंह एव गुरबलपाल सिंह एवं  
परविन्द्र सिंह की पहचान अधिवक्ता श्री  
मुकेश कुमार की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत  
कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा  
कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ  
कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ  
प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय